साझा वन प्रबन्ध सुदृढ़ीकरण गतिविधियां

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के अन्तर्गत वन विकास कार्य स्थानीय समुदायों की सहभागिता से सम्पादित कराये जाते हैं। स्थानीय ग्रामीण समुदायों का सक्रिय समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से योजना स्तर पर तथा सूक्ष्म नियोजन स्तर तैयार करते समय उनसे विस्तृत विचार–विमर्श किया जाता है तथा उनकी वनों से सम्बन्धित एवं अन्य आवश्यकताओं की जानकारी की जाती है। यदि इन समुदायों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त नहीं की जावेगी, तो योजना के क्रियान्वयन में इनका पूर्ण सहयोग नहीं मिल पायेगा।

अतः यह आवश्यक है कि स्थानीय समुदायों की गैर वानिकी आवश्यकताओं को भी योजना गतिविधियों में शामिल किया जावे तथा ऐसी आय सृजन गतिविधियां परियोजना का अविकल भाग हो, जिनका लाभ निर्धनों में निर्धनतम व्यक्ति को प्राप्त हो सके, ताकि साझा वन प्रबन्ध की सतत्ता बनी रहे।

परियोजना के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात संधारण आवश्यक हो जाता है, इसके लिए 'संधारण कोष' (कॉरप्स फण्ड) की स्थापना आवश्यक है, ताकि परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त सृजित परिसम्पत्तियों का आवश्यक संधारण किया जा सके।

(अ) आधारभूत ढांचागत विकास

साझा वन प्रबन्ध सृदृढीकरण के अन्तर्गत गैर वानिकी गतिविधियां जैसे पेयजल व्यवस्था, शिक्षा, सामुदायिक लघु निर्माण इत्यादि ढांचागत विकास कार्य करवाये जायेंगे। ढांचागत विकास हेतु प्रत्येक ग्राम की लगभग 1,50,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जावेगी।

सृजित परिसम्पत्तियों का संधारण स्थानीय समुदाय कॉरप्स कोष की राशि से प्राप्त ब्याज द्वारा किया जायेगा।

बजट की उपलब्धता के दृष्टिगत ग्राम्य वन्य सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति (VFPMC) द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर निम्न ढांचागत विकास गतिविधियां सम्पादित करायी जा सकती है।

पेय जल

- हैण्ड पम्प
- कुआं खुदवाना
- कुआं गहरा करवाना
- ट्यूब वैल
- पेयजल टंकियों का निर्माण
- ग्रामीण नाडी / तालाब का निर्माण
- एनीकट निर्माण

सडक निर्माण / सुधार कार्य

- सम्पर्क (कच्ची) सडकों का निर्माण

- आन्तरिक (कच्ची) सडकों का निर्माण
- पुलिया निर्माण

सामुदायिक कार्य

- सामुदायिक हॉल
- यात्री प्रतीक्षालय निर्माण
- चौपाल
- चबूतरा

ग्राम्य विकास कोष (V.D.F.)

प्रत्येक ग्राम्य वन्य सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति (VFPMC) एक ग्राम्य विकास कोष का सृजन करेगी। इस कोष में सदस्यता शुल्क, अकाष्ठ वन उत्पाद विक्रय से प्राप्त राशि तथा अर्थदण्ड से प्राप्त राशि जमा कराई जावेगी। कोष की राशि स्थानीय बैंक मे बचत खाता खुलवाकर जमा की जावेगी। इस कोष पर ग्राम्य वन्य सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति का अधिकार होगा। बैंक के इस खाते से आवश्यकतानुसार चैक से राशि वी एफ पी एम सी के कोषाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरित की जा सकेगी।

आधारभूत ढांचागत विकास गतिविधियों हेतु विभाग द्वारा प्रत्येक समिति (प्रत्येक गांव हेतु) के ग्राम्य विकास खाते में 1,50,000/– की राशि जाम करायी जावेगी। वी एफ पी एम सी एवं वन विभाग के मध्य सम्पादित सहमति–पत्र (एम.ओ.यू.) के अनुसार समिति कोष राशि से परियोजना क्षेत्र में साझा वन प्रबन्ध के सुदृढीकरण के आधारभूत ढांचा विकास गतिविधियां सम्पादित करायेगी।

(ब) **आय सृजन गतिविधियां (I.G.As.)**

स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा आय सृजन हेतु निम्न गतिविधियों या अन्य इसी तरह में से कोई गतिविधि सम्पादित करायी जावेगी।

- दक्षता अपग्रेडेशन
- सिलाई प्रशिक्षण
- दाई प्रशिक्षण
- कताई / बुनाई प्रशिक्षण
- डेयरी विकास
- लघु वन उपज एकत्रीकरण एवं प्रोसेसिंग
- खाद्य प्रसंस्करण
- लिफ्ट सिंचाई

आय सृजन गतिविधि कोष (IGA fund)

आय सृजित करने वाली गतिविधियां स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उनके माध्यम से करायी जावेगी। प्रत्येक वन सुरक्षा समिति को परियोजना अवधि में रुपये

80000/– की राशि इस गतिविधि हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी। सामान्यतः यह 4 सहायता समूहों के लिये होगी। इस कोष के उपयोग हेतु विभाग एवं वन सुरक्षा समिति के बीच एक सहमति–पत्र तैयार किया जायेगा। प्रत्येक वन सुरक्षा समिति गरीब एवं एक सी आर्थिक स्थिति वाले सदस्यों से स्वयं सहायता समूह का गठन करेगी। एक स्वयं सहायता समूह को अधिकतम 20000/– रुपये की राशि रोलिंग केपिटल व प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध करायी जा सकेगी, जिसे स्वयं सहायता समूह अपनी आय से निर्धारित समय में किश्तों में वापस जमा करायेंगे। यदि स्वयं सहायता समूह अपनी आय से निर्धारित समय में इस कर्ज राशि का समय पर भुगतान नहीं करते हैं, तो इसकी वसूली सम्बन्धित वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति का दायित्व होगा। दी गई राशि की वसूली होने पर वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति यह राशि पुनः अन्य स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध करा सकेगी। ऐसी राशि पर वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति द्वारा स्वयं सहायता समूह से समिति द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज भी लिया जायेगा। इस प्रकार ऋण देने, वसूलने एवं नये स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने के सतत क्रम से गरीब ग्रामीणों को आर्थिक लाभ होगा एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी एवं इसके बदले परियोजना की गतिविधियों में ग्रामीणों का सक्रिय सहयोग विभाग को मिलेगा।

<u>कॉरप्स फण्ड</u>

प्रत्येक वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के लिए परियोजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के संधारण के लिये वन विभाग की तकनीकी दिशा–निर्देशानुसार स्वीकृत योजनानुसार एक कॉरप्स कोष की स्थापना की जायेगी । कॉरप्स कोष का संचालन बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा एवं कोष की सावधि जमा राशि के ब्याज की राशि ही परियोजना अवधि उपरान्त परियोजना की परिसम्पत्तियों के संधारण में काम ली जा सकेगी। इस फण्ड का उपयोग परियोजना अवधि में नहीं किया जायेगा।

परियोजना अन्तर्गत प्रत्येक वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के खाते में कॉरप्स कोष हेतु 1,00,000/– की राशि बैंक में या पोस्ट आफिस में सावधि जमा राशि के रूप में जमा करायी जायेगी एवं इस राशि से प्राप्त ब्याज द्वारा ही परिसम्पत्तियों का संधारण वन विभाग एवं वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के बीच सम्पादित सहमति–पत्र (एम.ओ.यू.) के आधार पर किया जायेगा। कॉरप्स कोष में उक्त 1,00,000/– के अतिरिक्त ग्राम समुदाय से श्रम अथवा राशि के रूप में अंशदान देने के लिये लागत राशि का कम से कम 10 प्रतिशत अंशदान प्राप्त किया जायेगा, जो कि स्वैच्छिक श्रम के रूप में या नकद हो सकता है।

<u>कॉरप्स कोष का उपयोजन</u>

कॉरप्स कोष के सावधि जमा राशि से प्राप्त ब्याज द्वारा परियोजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का संधारण वन विभाग की तकनीकी सलाह से वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति द्वारा ही किया जायेगा।

कॉरप्स कोष की राशि के उपयोग का निर्णय वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति की कार्यकारिणी में बहुमत से लिया जावे, जिसका अनुमोदन वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति की साधारण सभा की बैठक में करवाया जावेगा।

कॉरप्स कोष का संचालन एवं लेखों का संधारण

वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति एवं वन विभाग के मध्य सम्पादित सहमति–पत्र (एम.ओ.यू.) के अनुसार संधारण हेतु परियोजना समाप्त होने पर कोष राशि में से आवश्यकतानुसार राशि वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के सदस्य सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक खाते से आहरित की जा सकेगी।

वन सुरक्षा समिति के सदस्य सचिव द्वारा निम्न खाते एवं रिकॉर्ड का संधारण किया जायेगा।

1. ग्राम विकास कोष खाता (VDF)
2. आय सृजन गतिविधि (IGA)कोष खाता
3. कॉरप्स कोष खाता

कोषाध्यक्ष द्वारा उल्लेखित तीनो कोषों की अलग–अलग कैश–बुक सदस्य सचिव की निगरानी में संधारित की जायेगी।

वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के लेखों का समय–समय पर क्षेत्रीय वन अधिकारी या उसके प्रतिनिधि अथवा उप वन संरक्षक द्वारा गठित कमेटी, जिसमें स्थानीय गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जा सकता है, द्वारा परीक्षण किया जावेगा।

एक्जिट पॉलिसी (Exit Policy)

वृक्षारोपणों में ऐसे वृक्ष जो 15–20 वर्ष में उत्पादन देते हैं, के अतिरिक्त ऐसी वृक्ष प्रजातियों का समावेश किया जावेगा, जो तीसरे या चौथे वर्ष में ही फल एवं लघु उपज उत्पादित करेंगे। समुदाय को घास से तत्कालिक लाभ, फल, लघु ईमारती लकडी एवं बांस से अंतरिम लाभ भी मिल सकेगा।

आय सृजन गतिविधियों से प्राप्त आय से अन्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियां अपने सदस्यों को स्वयं सहायता समूहों के गठन में प्रेरणा का काम करेगी। स्वयं सहायता समूह को दिये गये ऋण की वापसी से परियोजना समाप्ति के पश्चात भी नये स्वयं सहायता समूहों को भी लाभ मिल सकेगा। कॉरप्स कोष के ब्याज से परियोजना अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का संधारण किया जायेगा।

परियोजनान्तर्गत सृजित समस्त परिसम्पत्तियों का संधारण वन विभाग एवं सम्बन्धित लाईन विभागों की तकनीकी राय अनुसार किया जायेगा।